



अनुसंधान प्रश्न

“घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 क्या सुरक्षा देता है, जिसमें संरक्षण आदेश, निवास आदेश और आर्थिक राहत शामिल हैं, कौन किसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, और मजिस्ट्रेट के सामने प्रक्रिया कैसे चलती है?”

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत सुरक्षात्मक उपाय, शिकायत दर्ज करने की पात्रता (Locus Standi) और मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिक प्रक्रिया

सारांश

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (D.V. Act) पीड़ित महिलाओं को नागरिक और सुरक्षात्मक राहत देने वाला एक प्रगतिशील विधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने *S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District* (2020) में एक कल्याणकारी और सामाजिक-आर्थिक असमानता को दूर करने वाला विशेष कानून माना है। इस अधिनियम के तहत कोई भी महिला (चाहे विवाहित हो या लिव-इन संबंध में) जो घरेलू संबंध में रही है, वह पुरुषों और महिला रिश्तेदारों दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है, क्योंकि *Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora* (2016) में सुप्रीम कोर्ट ने "वयस्क पुरुष" की संकीर्ण सीमा को निरस्त कर दिया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 12 के तहत शुरू होने वाली प्रक्रिया मुख्य रूप से सिविल प्रकृति की होती है और यह Cr.P.C. की धारा 200 के तहत कोई आपराधिक शिकायत नहीं है, जैसा कि *Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal* (2025) में स्थापित किया गया है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	5	2025
18 उच्च न्यायालय • 7 सर्वोच्च न्यायालय		Patna High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	8
IV. मुकदमे का विवरण	10

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत:

01 प्रदत्त सुरक्षा उपायों की विस्तृत प्रकृति

अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को व्यापक राहतें देने की विधिक शक्ति है। इनमें धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश (जो हिंसा, उत्पीड़न, संपर्क या संपत्ति हस्तांतरण को रोकता है), धारा 19 के तहत निवास आदेश (साझा घर में दखल न देना या वैकल्पिक आवास की व्यवस्था), और धारा 20 व 22 के तहत आर्थिक राहत व हर्जाना शामिल हैं, *Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio Cosmo Lobo* (2008)।

02 साझा घर (Shared Household) में रहने का अधिकार

पीड़ित महिला का अपने साझा घर में रहने का अधिकार अत्यंत व्यापक है और इसे केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि संपत्ति का मालिकाना हक सास-ससुर के पास है, *S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District* (2020)। हालाँकि, *S.R. Batra v. Taruna Batra* (2006) के सिद्धांत के तहत, यदि संपत्ति विशेष रूप से सास की निजी और अनन्य (exclusive) संपत्ति है और यह संयुक्त परिवार की श्रेणी में नहीं आती, तो इसे "साझा घर" नहीं माना जा सकता।

03 कौन किसके खिलाफ शिकायत कर सकता है (पात्रता और दायित्व)

कोई भी पीड़ित महिला जो किसी भी समय प्रतिवादी के साथ साझा घर में घरेलू संबंध में रही है (जिसमें लिव-इन पार्टनर भी शामिल हैं), वह आवेदन कर सकती है, *Poonam v. Vijay Kumar Jindal* (2015)। सुप्रीम कोर्ट ने *Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora* (2016) में धारा 2(q) से "वयस्क पुरुष" (adult male) शब्दों को निरस्त कर दिया है; इसके परिणामस्वरूप, महिला रिश्तेदारों (जैसे सास या ननद) के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, *Varsha Kapoor v. UOI* (2010)। हालाँकि, धारा 19(1)(b) के अपवाद के तहत किसी महिला प्रतिवादी को स्वयं को साझा घर से हटाने (निष्कासित करने) का आदेश नहीं दिया जा सकता, *Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni* (2019)।

04 मजिस्ट्रेट के समक्ष नागरिक और सक्षम विधिक प्रक्रिया

धारा 12 के तहत प्रस्तुत अर्जी एक आपराधिक शिकायत नहीं है, बल्कि नागरिक राहत प्राप्त करने के लिए एक सक्षम नागरिक उपचार है। इसलिए, इस पर Cr.P.C. की धारा 468 के तहत निर्धारित समय-सीमा की पाबंदी लागू नहीं होती, *Priyank Shukla v. Yugal Kishori Shukla* (2019)। मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर सुनवाई की पहली तारीख तय करनी होती है और सामान्यतः 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करना होता है, *Zeba Khan v. State of U.P.* (2018)।

05 अंतरिम राहत और आवेदन में संशोधन की शक्ति

मजिस्ट्रेट के पास धारा 23 के तहत एकतरफा (ex-parte) अंतरिम राहत आदेश जारी करने की पूर्ण शक्ति है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट को धारा 12 के मूल आवेदन में प्रक्रियात्मक न्याय और मुकदमों की बहुलता को रोकने के लिए बाद के घटनाक्रमों को दर्ज करने हेतु संशोधन (amendment) स्वीकार करने की अंतर्निहित शक्ति भी है, *Kunapareddy @ Nookala Shankha Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari* (2016)।

06 आर्थिक राहत की स्वतंत्रता और भरण-पोषण का समायोजन

धारा 20 के तहत दी जाने वाली मौद्रिक राहत Cr.P.C. की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के समानांतर और स्वतंत्र है। इसे प्राप्त करने के लिए धारा 125 Cr.P.C. की सख्त शर्तों को साबित करना आवश्यक नहीं है, *Rajesh Kurre v. Saftu-abai* (2008)। हालाँकि, अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र होने पर न्यायालयों को दोनों अधिनियमों के तहत दी गई राहतों का न्यायिक विवेक से उचित समायोजन (adjustment) करना चाहिए, *Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde* (2024)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया:

07 सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 12 की कार्यवाही प्रकृति में सिविल होने के कारण मजिस्ट्रेट को इस पर यांत्रिक रूप से "आपराधिक संज्ञान" (cognizance) लेने की आवश्यकता नहीं होती, हालाँकि उच्च न्यायालय विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 482 Cr.P.C. के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है, *Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal* (2025)। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने से पहले घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) पर विचार करना अनिवार्य नहीं है, और पीड़ित महिला का हिंसा या मुकदमा दायर करने के समय प्रतिवादी के साथ एक ही घर में रहना अनिवार्य नहीं है, यदि उसका साझा घर पर विधिक अधिकार मौजूद है, *Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi* (2022)।

08 उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि डी.वी. एक्ट के तहत स्वतंत्र अर्जी केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चल सकती है, फैमिली कोर्ट में नहीं, *Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra* (2011)। इसके अलावा, धारा 27 के तहत पत्नी के केवल अस्थायी निवास (temporary residence) के आधार पर भी न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वैध माना जाता है, *Zeba Khan v. State of U.P.* (2018)।

09 हाल का विकास

हालिया निर्णयों के तहत, यदि किसी महिला का प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध रहा है, तो वर्तमान में वैवाहिक संबंध समाप्त (तलाक) होने के बाद भी वह पूर्व की घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षात्मक और आर्थिक राहत के लिए आवेदन कर सकती है, *Nazia Habeeb v. Mohd Najam Khan* (2024)।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ:

10 अधिनियम के भविष्यलक्षी स्वरूप की सीमा

डी.वी. एक्ट भविष्यलक्षी (prospective) कानून है। यद्यपि मजिस्ट्रेट सुरक्षा आवश्यकताओं को आंकने के लिए अधिनियम लागू होने (26 अक्टूबर, 2006) से पूर्व की घटनाओं पर विचार कर सकता है, लेकिन अधिनियम के लागू होने से पहले पूरी हो चुकी घटनाओं के लिए प्रतिवादी को धारा 31 के तहत दंडात्मक रूप से उत्तरदायी या दंडित नहीं किया जा सकता, *Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009*।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 18, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — PROTECTION ORDERS

यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी करने की शक्ति देता है ताकि प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के कृत्यों को करने, उसके कार्यस्थल पर प्रवेश करने या उससे संपर्क करने से रोका जा सके।

"The Magistrate may, after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favour of the aggrieved person and prohibit the respondent from — (a) committing any act of domestic violence; (b) aiding or abetting in the commission of acts of domestic violence; (c) entering the place of employment of the aggrieved person or, if the person aggrieved is a child, its school or any other place frequented by the aggrieved person; (d) attempting to communicate in any form, whatsoever, with the aggrieved person, including personal, oral or written or electronic or telephonic contact; (e) alienating any assets, operating bank lockers or bank accounts used or held or enjoyed by both the parties, jointly by the aggrieved person and the respondent or singly by the respondent, including her stridhan or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the Magistrate; (f) causing violence to the dependants, other relatives or any person who give the aggrieved person assistance from domestic violence; (g) committing any other act as specified in the protection order." उद्धृत: Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009

SECTION 12, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — APPLICATION TO MAGISTRATE

यह धारा पीड़ित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के पास राहत के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और सुनवाई व निपटान की समय-सीमा को रेखांकित करती है।

"(1) An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act: Provided that before passing any order on such application, the Magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the Protection Officer or the service provider. (2) The relief sought for under sub-section (1) may include a relief for issuance of an order for payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic violence committed by the respondent... (3) Every application under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto. (4) The Magistrate shall fix the first date of hearing, which shall not ordinarily be beyond three days from the date of receipt of the application by the court. (5) The Magistrate shall Endeavour to dispose of every application made under sub-section (1) within a period of sixty days from the date of its first hearing." उद्धृत: Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal, Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum

SECTION 19, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — RESIDENCE ORDERS

यह धारा मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति के साझा घर में रहने के अधिकार की रक्षा करने या प्रतिवादी को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का निर्देश देने वाले निवास आदेश जारी करने की अनुमति देती है।

"(1) While disposing of an application under sub-section (1) of section 12, the Magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order— (a) restraining the respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household; (b) directing the respondent to remove himself from the shared household; (c) restraining the respondent or any of his relatives from entering any portion of the shared household in which the aggrieved person resides; (d) restraining the respondent from alienating or disposing off the shared household or encumbering the same; (e) restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household except with the leave of the Magistrate; or (f) directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same, if the circumstances so require: Provided that no order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman." उद्धृत: Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009, Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum, P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi, Shashi Kant v. State of U.P.

SECTION 22, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — COMPENSATION ORDERS

यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की अनुमति देता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा के कारण हुई चोटों, मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक संकट के लिए पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा और हर्जाना दे।

"In addition to other reliefs as may be granted under this Act, the Magistrate may on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress, caused by the acts of domestic violence committed by that respondent." उद्धृत: -

SECTION 27, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — JURISDICTION

यह धारा उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है जहाँ पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के तहत राहत के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

"(1) The court of Judicial Magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate, as the case may be, within the local limits of which— (a) the person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on business or is employed; or (b) the respondent resides or carries on business or is employed; or (c) the cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a protection order and other orders under this Act and to try offences under this Act. (2) Any order made under this Act shall be enforceable throughout India." उद्धृत: Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Shashi Kant v. State of U.P.</i> UPHC011702042009	ALLAHABAD HIGH COURT	2019	पति को पत्नी के लिए आवास की वैकल्पिक व्यवस्था या मासिक किराया देने का निर्देश।
02	<i>Zeba Khan v. State of U.P.</i> UPHC011904172017	ALLAHABAD HIGH COURT	2018	पीड़ित के अस्थायी निवास के स्थान पर भी क्षेत्राधिकार का निर्धारण।
03	<i>Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra</i> ODHC010131102011	ORISSA HIGH COURT	2011	डी.वी. एक्ट के तहत स्वतंत्र याचिका केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय है।
04	<i>P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi</i> HCMA010492382015	MADRAS HIGH COURT	2015	पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पत्नी को निवास और भरण-पोषण की राहत।
05	<i>Nazia Habeeb v. Mohd Najam Khan</i> DLHC010440382022	HIGH COURT OF DELHI	2024	वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी साझा घर में रहने का महिला का अधिकार।
06	<i>S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District</i> ESCR010000582020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली से साझा घर का निवास अधिकार निरस्त नहीं होता।
07	<i>Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora</i> ESCR010005612016	SUPREME COURT OF INDIA	2016	"वयस्क पुरुष" शब्द निरस्त, महिला रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत संभव।
08	<i>Prashat Kumar v. State of Bihar</i> BRHC010787022024	PATNA HIGH COURT	2025	धारा 12 का आवेदन आपराधिक शिकायत नहीं है, संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं।
09	<i>Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde</i> CGHC010118572023	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	डी.वी. एक्ट और धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का विवेकपूर्ण समायोजन।
10	<i>Priyank Shukla v. Yugal Kishori Shukla</i> CGHC010092162019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2019	धारा 12 की कार्यवाही सिविल है, धारा 468 CrPC की समय-सीमा लागू नहीं।
11	<i>Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum</i> HCBM030299062016	BOMBAY HIGH COURT	2016	धारा 20 के तहत दी जाने वाली राहतेँ और मुआवजा असीमित हैं।
12	<i>Dr. V.K. Vijayalekshmi Amma v. Bindu V.</i> KLHC010169812009	HIGH COURT OF KERALA	2009	महिला रिश्तेदारों को प्रतिवादी के दायित्वों से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जा सकता।
13	<i>Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009</i> HBHC010259422009	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2009	अधिनियम भविष्यलक्षी है, लेकिन पुराने कृत्य सुरक्षा आदेश का आधार बन सकते हैं।
14	<i>Varsha Kapoor v. UOI</i> DLHC010648442010	HIGH COURT OF DELHI	2010	डी.वी. एक्ट के तहत महिला रिश्तेदारों को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है।
15	<i>Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari</i> ESCR010001882016	SUPREME COURT OF INDIA	2016	मजिस्ट्रेट को डी.वी. एक्ट के आवेदनों में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
16	<i>Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni</i> CGHC010366892018	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2019	साझा घर में महिला प्रतिवादी को बेदखल करने का निर्देश वर्जित है।
17	<i>Poonam v. Vijay Kumar Jindal</i> PHHC010624562014	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2015	लिव-इन संबंध में साथ रहने वाली महिला को 'पीड़ित व्यक्ति' के रूप में मान्यता।
18	<i>Rajesh Kurre v. Saftu-abai</i> CGHC010156382008	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2008	धारा 20 के तहत राहत हेतु धारा 125 CrPC की शर्तों को साबित करना जरूरी नहीं।
19	<i>Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi</i> ESCR010004632022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	आदेश पारित करने के लिए घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) पर विचार करना अनिवार्य नहीं।
20	<i>Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha & Anr.</i> ESCR010001542010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी आर्थिक राहत और भरण-पोषण की हकदार।
21	<i>Mahafujur Rahaman v. State of U.P.</i> UPHC011475252018	ALLAHABAD HIGH COURT	2018	डी.वी. एक्ट के तहत आदेशों का प्रवर्तन विशिष्ट नियमों द्वारा विनियमित है।
22	<i>Dr. Prakash Vinayak Joshi v. State of Maharashtra</i> HCBM010331842008	BOMBAY HIGH COURT	2009	अधिनियम लागू होने से पहले की हिंसा भी सुरक्षा आदेशों का आधार हो सकती है।
23	<i>S.R. Batra v. Taruna Batra</i> ESCR010002442006	SUPREME COURT OF INDIA	2006	केवल सास की निजी संपत्ति को बहू के लिए "साझा घर" नहीं माना जा सकता।
24	<i>Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal</i> ESCR010002102025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	धारा 12 का आवेदन कोई आपराधिक शिकायत नहीं है; उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने योग्य।
25	<i>Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio Cosmo Lobo</i> HCBM050010442008	BOMBAY HIGH COURT	2008	डी.वी. एक्ट के तहत आवेदनों को मजिस्ट्रेट तकनीकी आधार पर खारिज न करें।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Shashi Kant v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019-05-17 • A482/582/2009

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है जहाँ पत्नी (Opposite Party No. 2) ने The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत निवास के अधिकार और राहत के लिए आवेदन किया था। निचली अदालतों ने पति को पत्नी के लिए आवास प्रदान करने या प्रति माह 2,000 रुपये का किराया देने का निर्देश दिया था, जिसे पति ने इस उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने का निर्णय लिया। न्यायालय ने पक्षों के समझौते को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि पति अपनी पत्नी को प्रति माह 2,500 रुपये का भुगतान करेगा और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 3,500 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा। इस समझौते के साथ निचली अदालतों के आदेशों को संशोधित कर दिया गया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 12 और 19 के तहत मजिस्ट्रेट को निवास के आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें पति को अपनी पत्नी के लिए आवास सुनिश्चित करने या उसके समकक्ष किराए का भुगतान करने का निर्देश देना वैध है।

“Section 12 and 19 of The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which are relevant for the instant case needs to be quoted herein- below:- “12. Application to Magistrate:- (1) An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... Provided that no order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019

स्रोत UPHC011702042009

02 Zeba Khan v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018-11-14 • CRLR/3056/2017

यह मामला घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के तहत दायर एक याचिका के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) से संबंधित है। याचिकाकर्ता पत्नी ने रामपुर की अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जबकि पति का तर्क था कि चूंकि घटना अलीगढ़ में हुई थी और पत्नी वहां रह रही थी, इसलिए रामपुर की अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है। निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र को सही ठहराया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 27 के तहत 'aggrieved person' के अस्थायी निवास के आधार पर भी अदालत का अधिकार क्षेत्र बनता है। न्यायालय ने मामले को पुनः विचार के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया है ताकि साक्ष्यों के आधार पर अधिकार क्षेत्र तय किया जा सके।

निर्णय न्यायालय ने कानून की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं को रेखांकित किया, जिसमें पहले सुनवाई की तिथि तीन दिनों के भीतर तय करने और साठ दिनों के भीतर मामले के निपटारे के प्रयास करने का विधिक निर्देश है।

“Application to Magistrate.— (1) An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... (4) The Magistrate shall fix the first date of hearing, which shall not ordinarily be beyond three days from the date of receipt of the application by the court. (5) The Magistrate shall endeavour to dispose of every application made under sub-section (1) within a period of sixty days from the date of its first hearing.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018

स्रोत UPHC011904172017

03 Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra

ORISSA HIGH COURT • 2011-05-03 • WP(C)/6102/2011

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत Family Court के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एक बहू ने अपने ससुर पर घर से बेदखल करने और बिजली-पानी की सुविधा काटने का आरोप लगाया था। Family Court ने राहत देते हुए बिजली और पानी बहाल करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Protection of Women from Domestic Violence Act के तहत एक स्वतंत्र और मूल याचिका केवल Judicial Magistrate, First Class के समक्ष ही दायर की जा सकती है, न कि Family Court में। हालांकि, न्याय के हित में न्यायालय ने मामले को खारिज करने के बजाय उसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने धारा 17 के तहत 'गैर-बाधित' (non-obstante) निवास अधिकार पर जोर दिया। किसी भी महिला को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके साझा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, भले ही उसका उस घर पर कोई विधिक या मालिकाना हक न हो।

“Section-12 of the Act provides that an aggrieved person or a protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more relief under the Act... In sub-section (1) of the said section, it is provided that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same.”

ORISSA HIGH COURT • 2011

स्रोत ODHC010131102011

04 P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi

MADRAS HIGH COURT • 2015-03-06 • CRL RC/179/2015

यह मामला घरेलू हिंसा (Domestic Violence Act, 2005) से संबंधित है। प्रतिवादी (पत्नी) ने अपने पति और सास पर दहेज की मांग, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। निचली अदालत ने एकतरफा आदेश पारित करते हुए पत्नी को आवास का अधिकार (residence order) दिया और पति को ₹10,000 प्रति माह भरण-पोषण (maintenance) देने का निर्देश दिया। पति ने इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र न्यायालय ने यह पाया कि उसने अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। उच्च न्यायालय ने भी पाया कि घरेलू हिंसा की घटनाओं को साबित करने के लिए पत्नी द्वारा पर्याप्त सामग्री पेश की गई थी और पति के दावों में कोई दम नहीं था, इसलिए निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखा गया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने धारा 19 के तहत निवास आदेशों की रूपरेखा की पुष्टि की और यह स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को साझा घर से खुद को हटाने या वैकल्पिक आवास के किराए का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

“Section 19 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, reads as follows: “Residence orders.— (1) While disposing of an application under sub-section (1) of section 12, the Magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order— ... Provided that no order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

MADRAS HIGH COURT • 2015

स्रोत HCMA010492382015

Nazia Habeeb v. Mohd Najam Khan

HIGH COURT OF DELHI • 2024-11-26 • CRL.REV.P./797/2022

यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के तहत दायर याचिका से संबंधित है। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अधिनियम लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और स्पष्ट किया कि 'घरेलू संबंध' (domestic relationship) का अर्थ केवल वर्तमान विवाह तक सीमित नहीं है। न्यायालय ने Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जो महिला किसी भी समय प्रतिवादी के साथ 'साझा घर' (shared household) में रही है, वह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकती है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत को व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए जो कि धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण के अतिरिक्त भी प्रदान की जा सकती है।

“The reliefs which can be granted by the Magistrate under the Domestic Violence Act, 2005 are as follows: ... (iv) Monetary reliefs - Section 20; ... The monetary relief as stipulated under Section 20 is different from maintenance, which can be in addition to an order of maintenance under Section 125 CrPC or any other law.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010440382022

06 S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-12-15 • 2020 INSC 701

यह मामला Senior Citizens Act, 2007 और Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के बीच टकराव से संबंधित है। एक बहू (appellant) को उसके सास-ससुर द्वारा घर से बेदखल करने की कोशिश की गई, जिसे High Court ने सही ठहराया था। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि यद्यपि दोनों कानून 'special Acts' हैं, लेकिन उन्हें एक-दूसरे के विपरीत नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि 2005 Act के तहत एक महिला का 'shared household' में रहने का अधिकार 2007 Act के तहत बेदखली के आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। निर्णय में कहा गया कि इन दोनों कानूनों के उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है और Tribunals को पक्षों के प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करते हुए राहत प्रदान करनी चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि डी.वी. एक्ट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आवास सुरक्षा प्रदान करना है। माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करते समय डी.वी. एक्ट के तहत महिला के साझा घर में रहने के अधिकार को सरसरी तौर पर दरकिनार नहीं किया जा सकता।

“The object of the legislation of PWDV Act, 2005 is to provide for and recognize the rights of women to secure housing and to recognize the right of a woman to reside in a matrimonial home or a shared household... Hence the right of a woman to secure a residence order in respect of a shared household cannot be defeated by the simple expedient of securing an order of eviction by adopting the summary procedure under the Senior Citizens Act 2007.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010000582020

07 Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora

SUPREME COURT OF INDIA • 2016-10-06 • 2016 INSC 955

यह मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के Section 2(q) में 'respondent' की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। न्यायालय ने माना कि 'adult male' शब्द का प्रयोग अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है और यह Article 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने 'adult male' शब्दों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया ताकि अधिनियम का लाभ सभी के खिलाफ मिल सके जो घरेलू हिंसा करते हैं। Severability के सिद्धांत को लागू करते हुए, बाकी धारा को बरकरार रखा गया। इसके साथ ही, उक्त शब्दों पर आधारित proviso को भी निरस्त माना गया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि घरेलू संबंध के भीतर हिंसा के लिए महिला प्रतिवादियों को पूरी तरह छूट देना अधिनियम के उद्देश्य के प्रतिकूल था। न्यायालय ने धारा 2(q) से 'adult male' शब्द को अलग कर दिया ताकि पीड़ित महिला किसी भी व्यक्ति (पुरुष या महिला रिश्तेदार) के खिलाफ विधिक राहत मांग सके।

“The definition of 'respondent' in s.2(q) is not based on any intelligible difference having any rational relation to the object sought to be achieved by the Act... Therefore, the words, 'adult male' before the word 'person' in s., 2 (q) are struck down as these words discriminate between persons similarly situated and being contrary to the object to be achieved by the Act”

SUPREME COURT OF INDIA • 2016

स्रोत ESCR010005612016

08 Prashat Kumar v. State of Bihar

PATNA HIGH COURT • 2025-06-23 • CR. REV./657/2024

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत दायर आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा 'cognizance' लिए जाने की कानूनी वैधता से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि Section 12 के तहत दायर आवेदन Section 200 of the Cr.P.C. के अर्थ में कोई 'complaint' नहीं है, इसलिए उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा cognizance लेने की प्रक्रिया गलत है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 'Shaurabh Kumar Tripathi vs. Vidhi Rawal' का संदर्भ लेते हुए माना कि D.V. Act के तहत आवेदन एक complaint नहीं है और मजिस्ट्रेट को उस पर सामान्य रूप से cognizance लेने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने निचले अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई करने का निर्देश दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 12 की कार्यवाही मुख्य रूप से सिविल प्रकृति की है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 200 के तहत शिकायत की तरह संचालित नहीं किया जा सकता।

“As can be seen from the scheme of the DV Act, 2005 and in particular section 12, it is not a complaint under Section 200 of the Cr.P.C. or Section 223 of the BNSS. ... Only after the learned Magistrate is satisfied that a case is made out to proceed against the accused, a process is issued and cognizance is taken.”

PATNA HIGH COURT • 2025

स्रोत BRHC010787022024

09 Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-07-23 • CRR/409/2023

यह मामला पति और पत्नी के बीच भरण-पोषण (maintenance) के भुगतान से संबंधित दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं (criminal revision petitions) का है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत दिया जाने वाला मौद्रिक राहत और Code of Criminal Procedure, 1973 की Section 125 के तहत दिया गया भरण-पोषण स्वतंत्र हैं, लेकिन इनका समायोजन

(adjustment) न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय ने *Rajnesh v. Neha* मामले के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि भरण-पोषण की राशि उचित और जीवन स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तदनुसार, निचली अदालत द्वारा भरण-पोषण की राशि में किए गए समायोजन के आदेश को सही ठहराते हुए और पति को पत्नी व बच्चों के लिए निर्धारित मासिक भत्ता देने का निर्देश देते हुए दोनों याचिकाओं का निपटारा किया गया।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि धारा 125 Cr.P.C. और डी.वी. एक्ट की धारा 20 के तहत भरण-पोषण स्वतंत्र और अतिरिक्त राहतें हैं, लेकिन दोहरे भरण-पोषण को रोकने के लिए न्यायालयों को उनका परस्पर समायोजन (set off) करना चाहिए।

“The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. ... Section 26 of the D.V. Act provides that any relief available Under Sections 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding before a Civil Court, Family Court or Criminal Court.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010118572023

10 Priyank Shukla v. Yugal Kishori Shukla

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019-10-24 • CRMP/691/2019

यह मामला Section 482 of CrPC के तहत दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की Section 12 के तहत लंबित कार्यवाही को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आवेदन दायर करने में अत्यधिक देरी (लगभग 7 वर्ष) हुई है और Section 468 of CrPC के तहत यह समय-सीमा के बाहर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 12 के तहत दायर आवेदन दंडात्मक (penal) नहीं है, बल्कि यह राहत प्राप्त करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। न्यायालय ने माना कि Section 468 of CrPC केवल Section 31 के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू होता है, न कि Section 12 की कार्यवाही पर। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने सुस्पष्ट माना कि धारा 12 की कार्यवाहियाँ केवल सक्षम राहतें प्रदान करने के लिए हैं और वे दंडात्मक नहीं हैं। परिणामस्वरूप, उन पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित कोई भी समय-सीमा (limitation period) लागू नहीं होती।

“Therefore, on a plain reading of Section 12 of the Act of 2005, it is apparent that the provisions of Section 12 of the Act 2005 are not penal in nature as it does not provide for any punishment. On the other hand, the same are enabling provisions to decide entitlement of an aggrieved person for grant of relief... Section 31 of the Act... is restricted to enforcement of protection order ordered under Section 18 of the Act of 2005.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019

स्रोत CGHC010092162019

11 Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum

BOMBAY HIGH COURT • 2016-09-21 • WP/1008/2016

यह मामला घरेलू हिंसा (Domestic Violence) से संबंधित है। पति ने निचली अदालत द्वारा पत्नी को दी गई मुआवजे और विवाह के खर्चों (marriage expenses) की राशि को बढ़ाने के सत्र न्यायालय (Sessions Court) के आदेश को चुनौती दी थी। पति का तर्क था कि कानून के तहत सत्र न्यायालय को मुआवजे की राशि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 का उद्देश्य महिलाओं को व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है और Section 20 के तहत दी गई राहतें सीमित नहीं हैं। न्यायालय ने पत्नी के पिता के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया और सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

निर्णय बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 20 और 22 के तहत आर्थिक राहतें तथा मुआवजा व्यापक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असीमित और लचीली हैं।

“The Magistrate, while entertaining an application from an aggrieved person under Section 12 of the Domestic Violence Act, can grant the following reliefs: ... 4) An aggrieved person, while filing an application under Section 12(1) of the Domestic Violence Act, is also entitled, under Section 20 of the DV Act, to get “monetary reliefs” to meet the expenses incurred and losses suffered...”

BOMBAY HIGH COURT • 2016

स्रोत HCBM030299062016

12 Dr. V.K. Vijayalekshmi Amma v. Bindu V.

HIGH COURT OF KERALA • 2009-12-02 • CRL.MC/2225/2009

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत कार्यवाही की स्थिरता से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक महिला को 'Respondent' के रूप में इस अधिनियम के तहत नहीं माना जा सकता और न ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि Act की धारा 2(q) और धारा 19 के प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट है कि एक महिला को भी Respondent बनाया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ धारा 19(1)(b) के तहत निष्कासन का आदेश दिया गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य व्यापक है और महिला रिश्तेदारों को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। अंततः, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय न्यायालय ने माना कि विधिक रूप से महिला रिश्तेदारों को प्रतिवादी की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनके विरुद्ध साझा घर से खुद को विस्थापित करने (धारा 19(1)(b)) का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

“Proviso makes it clear that no order shall be passed against any person who is a woman under clause (b) directing the respondent to remove herself from the shared household. ... other orders are not to be treated as orders passed under the Code of Criminal Procedure as essentially they are orders in respect of the civil liability.”

HIGH COURT OF KERALA • 2009

स्रोत KLHC010169812009

13 Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2009-11-13 • CRLP/346/2009

ये याचिकाएँ The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की प्रयोज्यता (applicability) से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कानून के प्रभावी होने से पहले हुई हिंसा की घटनाओं के लिए इस अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि यह कानून भविष्यलक्षी (prospective) है, न कि भूतलक्षी (retrospective)। न्यायालय ने स्वीकार किया कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार कानून तब तक भविष्यलक्षी माने जाते हैं जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ (necessary implication) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो। चूंकि इस अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इसे भूतलक्षी बनाता हो, न्यायालय ने माना कि यह केवल भविष्यलक्षी है और इसके तहत कार्यवाही उन घटनाओं पर लागू नहीं हो सकती जो इसके लागू होने की तिथि (26 October, 2006) से पहले पूरी हो चुकी थीं।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम मूल रूप से भविष्यलक्षी है, लेकिन मजिस्ट्रेट वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में संतुष्ट होने के लिए अधिनियम लागू होने से पहले के कृत्यों को संज्ञान में ले सकता है।

“The above provision makes it clear that any relief available under the Domestic Violence Act, 2005 may also be sought in any legal proceedings before the civil court, family court or criminal court... Section 18 of the Domestic Violence Act, 2005 provides that the Magistrate may, after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, may pass a protection order...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2009

स्रोत HBHC010259422009

14 Varsha Kapoor v. UOI

HIGH COURT OF DELHI • 2010-06-03 • W.P.(CRL)/638/2010

इस मामले में याचिकाकर्ता (सासू माँ) ने Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि Section 2(q) के तहत 'respondent' शब्द का अर्थ केवल 'adult male person' है, इसलिए एक महिला को इस कानून के तहत respondent नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि proviso में 'relative' शब्द का प्रयोग व्यापक है और इसमें महिला रिश्तेदार भी शामिल हो सकती हैं। अतः, एक महिला को भी घरेलू हिंसा के मामलों में respondent के रूप में implead किया जा सकता है।

निर्णय न्यायालय ने व्याख्या की कि धारा 2(q) के तहत रिश्तेदार शब्द का दायरा विस्तृत है, जिसमें पति के महिला रिश्तेदार (जैसे सास) भी शामिल हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ डी.वी. एक्ट में याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं।

“An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... Provided that no order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

HIGH COURT OF DELHI • 2010

स्रोत DLHC010648442010

15 Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari

SUPREME COURT OF INDIA • 2016-04-18 • 2016 INSC 323

यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act, 2005) के तहत दायर याचिका में संशोधन की अनुमति देने के न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा के मामलों में मजिस्ट्रेट के पास याचिका में संशोधन करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया न्याय की सहायक है, बाधा नहीं। यदि बाद की घटनाओं या मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए संशोधन आवश्यक हो, तो इसे अनुमति दी जानी चाहिए। यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी गई, तो अधिनियम का मूल उद्देश्य विफल हो सकता है। अतः, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के संशोधन की अनुमति देने वाले निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत स्थापित किया कि डी.वी. एक्ट के तहत दायर आवेदनों में मजिस्ट्रेट न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधन (amendment) करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि ये कार्यवाहियाँ मुख्य रूप से सिविल प्रकृति की हैं।

“The purpose of enacting the law was to provide a remedy in the civil law for the protection of women from being victims of domestic violence and to prevent the occurrence of domestic violence in the society. It is for this reason, that the Scheme of the Act provides that in the first instance, the order that 'would be passed by the Magistrate, on a complaint by the aggrieved person, would be of a civil nature...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2016

स्रोत ESCR010001882016

16 Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019-10-24 • CRR/1332/2018

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) से संबंधित है। याचिकाकर्ता, एक वृद्ध विधवा, ने आरोप लगाया कि उसके बेटे और बहू ने उसके घर में जबरन प्रवेश कर उसे बेदखल कर दिया और प्रताड़ित किया। निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने बेटे के विरुद्ध संरक्षण आदेश पारित किए थे, लेकिन बहू के खिलाफ नहीं, क्योंकि कानून के तहत महिलाओं को 'shared household' से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा Section 20 के तहत मांगी गई मौद्रिक राहत (monetary relief) को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह घर को हुए नुकसान या अपने आर्थिक नुकसान का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रही। उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 20 के तहत हर्जाने या आर्थिक राहत के दावे को बिना किसी साक्ष्य के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, किसी भी महिला प्रतिवादी को साझा घर से बेदखल करने की विधिक मनाही है।

“The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. ... the applicant has not been able to produce any incriminating evidence to show that the non-applicants acted in such a manner and the house was vandalized by respondents...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019

स्रोत CGHC010366892018

17 Poonam v. Vijay Kumar Jindal

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2015-08-21 • CRM-M/7199/2014

यह मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के तहत भरण-पोषण (maintenance) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने प्रतिवादी के साथ विवाह के समान संबंध में साझा घर में समय बिताया है और वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। निचली अदालत ने पहले याचिकाकर्ता के दावों को खारिज कर दिया था और उसे किसी भी भरण-पोषण के लिए अपात्र घोषित कर दिया था। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता 'Domestic Violence Act' के तहत एक 'aggrieved person' है। न्यायालय ने पाया कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वे साथ रह रहे थे, और इसलिए याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत राहत पाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी महिला जो विवाह के समान संबंध (live-in relationship) में रही है, उसे भी 'पीड़ित व्यक्ति' मानकर धारा 12, 19, और 20 के तहत निवास और आर्थिक राहतें प्रदान की जा सकती हैं।

“An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act; ... Provided that no order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2015

स्रोत PHHC010624562014

18 Rajesh Kurre v. Saftu-abai

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2008-11-11 • CRMP/274/2008

यह मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के तहत भरण-पोषण (maintenance) के आदेश की वैधता को चुनौती देने के बारे में था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Section 20(1)(d) के तहत भरण-पोषण देते समय न्यायालय को Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 की शर्तों को पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के तहत दी गई राहत स्वतंत्र है और यह 'Code of Criminal Procedure' के तहत उपलब्ध अन्य उपचारों के अतिरिक्त है। न्यायालय ने यह माना कि पीड़ित व्यक्ति को Section 20 के तहत राहत पाने के लिए Section 125 की शर्तों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और निचली अदालत का आदेश सही था। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 20 के तहत प्रदान किया जाने वाला गुजारा भत्ता स्वतंत्र है और इसके लिए पीड़ित को धारा 125 Cr.P.C. के कड़े विधिक मानदंडों को साबित करने की विधिक विवशता नहीं है।

"Section 20 of the Act says that at the time of disposal of the application under sub-section (1) of Section 12, the Magistrate is competent to direct the respondent to pay monetary relief to the affected or aggrieved person... which shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved is accustomed."

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2008

स्रोत CGHC010156382008

19 Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-05-12 • 2022 INSC 563

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (D.V. Act) के दायरे और व्याख्या से संबंधित है। Appellant ने अपनी सास और ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या Magistrate के लिए आदेश पारित करने से पहले Domestic Incident Report (DIR) पर विचार करना अनिवार्य है, और क्या घरेलू हिंसा के समय पीड़ित महिला का प्रतिवादी के साथ एक ही घर में रहना अनिवार्य है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मजिस्ट्रेट को धारा 12 के राहत आवेदन पर निर्णय लेते समय घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) पर विचार करना अनिवार्य नहीं है। महिला का उस साझा घर में पूर्व में किसी भी समय रहना पर्याप्त है।

"'aggrieved person' means any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent; ... Irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household."

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010004632022

20 Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-10-07 • 2010 INSC 681

यह मामला भरण-पोषण (maintenance) के दावे और 'wife' शब्द की व्याख्या से संबंधित है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने प्रतिवादी के साथ एक लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में सहवास किया है, इसलिए वह Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत भरण-पोषण की हकदार है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि विवाह के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि डी.वी. एक्ट सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी है और यह लिव-इन जोड़ों को विवाह के समान सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे महिला आर्थिक व मौद्रिक राहतों के लिए सक्षम है।

“Most significantly, the Act gives a very wide interpretation to the term 'domestic relationship' as to take it outside the confines of a marital relationship, and even includes live-in relationships in the nature of marriage... Therefore, women in live-in relationships are also entitled to all the reliefs given in the said Act.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010001542010

21 Mahafujur Rahaman v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018-09-12 • CRLR/2470/2018

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत गुजारा भत्ता (maintenance) की वसूली से संबंधित है। पति ने निचली अदालत द्वारा गुजारा भत्ता न चुकाने के लिए जारी वसूली वारंट और अपील खारिज होने के आदेश को चुनौती दी थी। पति का तर्क था कि Section 125 of the Cr.P.C. के तहत एक वर्ष की सीमा लागू होनी चाहिए और पक्षों के बीच हुए समझौते के कारण कोई बकाया राशि शेष नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत दिए गए आदेशों का प्रवर्तन (enforcement) विशेष रूप से बनाए गए नियमों और Act के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, न कि केवल Cr.P.C. की सीमाओं द्वारा, और पति की दलीलों को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डी.वी. एक्ट एक स्वतंत्र संहिता है। धारा 20 और नियम 6 के तहत भरण-पोषण के आदेशों का प्रवर्तन विशिष्ट रूप से संरचित नियमों द्वारा विनियमित है और इस पर Cr.P.C. की धारा 125 के तहत बकाया वसूली की एक वर्ष की समय-सीमा लागू नहीं होती।

“Rule-6. Application to the Magistrate: (1) Every application of the aggrieved person under Section 12 shall be in Form II or as nearly as possible thereto. ... (5) The applications under Section 12 shall be dealt with and the orders enforced in the same manner laid down under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018

स्रोत UPHC011475252018

22 Dr. Prakash Vinayak Joshi v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2009-07-18 • WP/2102/2008

यह मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' (PWDVA) के तहत दायर आवेदन की 'maintainability' से संबंधित है। याचिकाकर्ता (पति) ने तर्क दिया कि चूंकि कथित हिंसा की घटनाएं 26 अक्टूबर 2006 को अधिनियम लागू होने से पहले हुई थीं, इसलिए अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होने चाहिए। पति का कहना था कि यह अधिनियम केवल भविष्यलक्षी (prospective) है और पूर्वव्यापी (retrospective) रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने PWDVA के उद्देश्यों और इसके तहत मिलने वाले नागरिक उपचारों (civil remedies) की जांच की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है और यह केवल प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि नए अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अंततः, न्यायालय ने अधिनियम की प्रयोज्यता के सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम लागू होने से पहले के कृत्यों के आधार पर वर्तमान में सुरक्षा आदेश (धारा 18) पारित करना पूरी तरह से वैध है। अतीत के कृत्य सुरक्षा की तात्कालिक आवश्यकता पर संतुष्ट होने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य हैं।

“The prima facie satisfaction contemplated by Section 18 which is required to be recorded by the learned magistrate can be on the basis of facts of domestic violence committed prior to coming into force of the said Act Rma wp2101-08.sxw 22 of 2005. ... If respondent is punished for breach of such protection orders, he will be punished...”

BOMBAY HIGH COURT • 2009

स्रोत HCBM010331842008

23 S.R. Batra v. Taruna Batra

SUPREME COURT OF INDIA • 2006-12-15 • 2006 INSC 1026

यह मामला 'shared household' की परिभाषा और Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत एक विवाहित महिला के ससुराल में रहने के अधिकार से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक महिला का अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार केवल अपने पति के खिलाफ हो सकता है, न कि उसके सास-ससुर के खिलाफ। यदि संपत्ति पूरी तरह से सास की है और संयुक्त परिवार की नहीं है, तो उसे 'shared household' नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में अराजकता पैदा करना नहीं है और Section 2(s) की व्याख्या विवेकपूर्ण होनी चाहिए। अंततः, न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए पत्नी के दावों को खारिज कर दिया क्योंकि वह संपत्ति पति की नहीं थी।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 2(s) के तहत 'साझा घर' में केवल वही घर शामिल है जो या तो पति के स्वामित्व में हो, या उसके द्वारा किराए पर लिया गया हो, या संयुक्त परिवार का हो जिसका पति सदस्य हो। सास की निजी अनन्य संपत्ति को साझा घर नहीं माना जा सकता।

“As regards Section 17(1) of the Act, the wife is only entitled to claim a right to residence in a shared household, and a 'shared household' would only mean the house belonging to or taken on rent by the husband, or the house which belongs to the joint family of which the husband is a member.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2006

स्रोत ESCR010002442006

24 Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-05-18 • 2025 INSC 734

इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या High Court Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए CrPC की धारा 482 या BNSS की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकती है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि DV Act के तहत कार्यवाही प्रकृति में मुख्य रूप से सिविल है, फिर भी Magistrate के समक्ष लंबित इन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए High Court के पास धारा 482 CrPC या धारा 528 BNSS के तहत अधिकार क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने High Court के उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि ऐसी कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती, और मामलों को पुनः विचार के लिए High Court को वापस भेज दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धारा 12 की प्रक्रिया मुख्यतः सिविल अधिकारों की रक्षा करने वाला विधिक मंच है। इस आवेदन को आपराधिक शिकायत से अलग माना जाना चाहिए। हालांकि विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित रद्द करने की शक्तियाँ सुरक्षित हैं।

“Therefore, an application under Section 12 of the DV Act, 2005, cannot be equated with a complaint within the meaning of Section 200 of the Cr.P.C. ... At the same time, it cannot be disputed that these proceedings are predominantly of civil nature.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010002102025

25 Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio Cosmo Lobo

BOMBAY HIGH COURT • 2008-08-26 • WPCR/22/2008

यह मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत दायर एक आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने से संबंधित है। निचली अदालत और सत्र न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि Protection Officer द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथित घरेलू हिंसा की घटनाओं का विस्तृत विवरण, तिथि या स्थान नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को कानून की भावना के विपरीत माना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है और Magistrate को तकनीकी त्रुटियों के आधार पर आवेदन खारिज करने के बजाय, कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

निर्णय बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डी.वी. एक्ट पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कल्याणकारी विधान है। मजिस्ट्रेट को तकनीकी विवरणों या रिपोर्ट की खामियों के आधार पर आवेदन को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं करना चाहिए।

“Section 12, sub-section(1) of the Act provides that an aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... Magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the Protection Officer or the service provider.”

BOMBAY HIGH COURT • 2008

स्रोत HCBM050010442008

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।